

31/20

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

07.09.22

वकील प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद खातिज हो चुका है। ऐसी सुरत में आवेदन पत्र से आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा आवेदन पत्र इसी स्टेज पर खातिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमाट होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतर

